

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302006)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2015/ 793

जयपुर, दिनांक:- 20.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान ।

विषय:- नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227 एवं 229 के अन्तर्गत कार्यवाही।

महोदय,

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं प्ररूप 4घ में उनकी संतानों, उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्हीं अपराधों के लिए उनकी दोष सिद्धि के मामलों, उनके एवं उनके आश्रितों की अचल संपत्ति आदि की सूचना घोषणा के रूप में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है। इसी प्रकार नगर पालिका चुनावों में भी नाम निर्देशन पत्र में की जाने वाली घोषणाओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उनकी संतानों के संबंध में, उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्हीं अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि के मामलों आदि की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूपों में देना अनिवार्य है। इसके अलावा भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं के प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा, उनके विरुद्ध देयताओं, शैक्षणिक योग्यता, लंबित आपराधिक प्रकरणों की सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप पृथक से भी निर्धारित किये हैं जिनमें भी अभ्यर्थियों द्वारा घोषणार्थ/कथन किये जाते हैं।

पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने परिपत्र क्रमांक: एफ. 7(2)(4)/पंचा/रानिआ/99/7358 दिनांक 26.04.2000 जारी करते हुए उक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव लड़ने के आशय से रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष असत्य घोषणा किए जाने या तथ्यों को जान बूझकर छिपाने के कृत्यों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 एवं 193 (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227 एवं 229 नवीन अधिनियम) के अन्तर्गत मिथ्या साक्ष्य मानते हुए सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे।

गत आम चुनावों में भी कई शिकायतें इस आशय की प्राप्त हुई कि किन्हीं अभ्यर्थियों ने सही तथ्यों को छुपाते हुए या गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए चुनाव में भाग लिया व निर्वाचित भी हो गये। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 02.04.07 द्वारा स्पष्ट किया गया कि चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं के मामलों में जांच कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती।

अतः आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 502 दिनांक 29.03.2011 एवं पत्र 7358 दिनांक 26.04.2000 को अधिक्रमित करते हुए इस संबंध में स्पष्ट निर्देश निम्न प्रकार है:-

1. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 02.04.07 द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। चुनाव पूर्व की अयोग्यता संबंधी प्रकरण पंचायती राज अधिनियम की धारा 43 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 के तहत चुनाव याचिका के जरिये ही जिला अदालत के माध्यम से निर्णित हो सकते हैं।
2. ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियों के विरुद्ध चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं की जांच पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 एवं इसके साथ पठित राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 23 के अन्तर्गत राज्य सरकार व इसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
3. पूर्व में रिटनिंग अधिकारी के समक्ष दिए गए मिथ्या साक्ष्य के आपराधिक कृत्य और उसके लिए परिवाद दर्ज कराने से संबंधित विषय पर पर विधि विभाग की राय भी प्राप्त की गयी है। विधि विभाग द्वारा दी गई राय निम्न प्रकार है:-

“माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चुनाव पूर्व नियोग्यता के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा धारा 191 का अपराध किया है, तो उसके संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु ऐसी कार्यवाही में उसकी नियोग्यता के संदर्भ में जांच नहीं की जा सकती, किन्तु यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया है तो तथ्यों की जांच कर फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।”

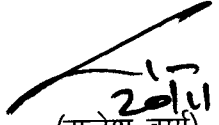
अतः रिटनिंग अधिकारियों के समक्ष असत्य तथ्यों को प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने की शिकायतों के मामलों में कार्यवाही हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं कि :-

(i) अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच नहीं की जाए अर्थात् यह जांच नहीं की जाए कि अभ्यर्थी चुनाव पूर्व किसी नियोग्यता को धारित करता था अथवा नहीं क्योंकि यह बिन्दु चुनाव याचिका में ही शामिल हो सकता है।

(ii) रिटनिंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए जांच का बिन्दु केवल यह हो सकता है कि अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं उसके संलग्न प्रस्तुत किये गए अन्य प्ररूपों/शपथपत्रों/घोषणा पत्रों में चुनाव लड़ने की मंशा से क्या कोई असत्य कथन किया है या तथ्यों को जान बूझ कर छुपाया है और क्या उसने रिटनिंग अधिकारी को मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपराध किया है। इन्ही बिन्दुओं पर जांच की जा सकती है किन्तु ऐसी कार्यवाही में उस अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अपात्रता की जांच नहीं की जा सकेगी।

(iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का आपराधिक कृत्य कारित करना पाया जाता है तो फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जावे। रिटर्निंग अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी ने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है उनके द्वारा अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी शिकायत के संबंध में तथ्यों की जांच से प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत होना पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227 व 229 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जावे।

(iv) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि असत्य तथ्य वर्णित करते हुए चुनाव लड़ने की शिकायतों की जांच पंचायती राज संस्थाओं के किसी अधिकारी से नहीं करवाई जावे बल्कि रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ही तथ्यों की जांच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यदि कोई मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत हुआ तो उनमें उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। राज्य सरकार को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।


20/11/20
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,